# न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 02/2021 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2021/7)

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बाडी धौलपुर ———————— प्रार्थी।

*बनाम*

वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा एफपीएस कोड नम्बर 9718 तहसील बाडी ————————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

*उपस्थिति :* –
*प्रार्थी की ओर से :– :–* दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक प्रथम
*अप्रार्थी की ओर से :–* *श्री विमल शर्मा अभिभाषक*

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

## निर्णय

दिनांक 27.12.2022

*प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि जिला कलक्टर के कार्यालय से दूरभाष पर मिले निर्देशानुसार दिनांक 07.01.2021 को राशन की जॉच करने ग्राम पंचायत नगला विधौरा के गांव मावली का नगला में शिकायतकर्ताओं द्वारा नगला विधौरा के राशन डीलर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति वदरैठा नगला विधौरा कोड–9718 द्वारा गेंहू के काला बाजारी करने तथा श्री जगवीर पुत्र ज्ञानसिंह निवासी मावली का नगला के मकान के काला बाजारी हेतु गेहू रखे होने की शिकायत की। शिकायतकर्ता विजयसिंह ने बताया कि राशन डीलर ने उपभोक्ताओं से दो माह का पोश मशीन में अंगूठा लगवा लिया है परन्तु किसी को भी माह नवम्बर दिसम्बर 2020 का राशन नहीं दिया गया है तथा जगवीर के मकान में रखे गेंहू को राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी करने हेतु भण्डारित करना बताया। विजयसिंह ने अपने बयानों में बताया कि उक्त मकान में रखे एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधे कटटे खोलकर कमरे में खाली कर दिये गये है और इस खुले हुए गेंहू के नीचे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहू के कटटे दबे हुए है। मकान मालिक जगवीर पुत्र ज्ञानसिंह निवासी मावली का नगला ने अपने बयानों में बताया कि जिस कमरे में गेंहू रख हुआ है, ये कमरा उसके द्वारा 400 रूपये प्रतिमाह किराये पर पिछले सात आठ माह से रामअवतार पुत्र श्री बाबूसिंह, सतेन्द्र पुत्र विजयसिंह निवासी मावली का नगला ग्राम पंचायत नगला विधौरा, तहसील बाडी को दिया गया है, जिसका उसे पास कोई किरायानामा नहीं*

है। प्रथक से सतेन्द्र एवं रामअवतार के बयान लिये गये। सतेन्द्र एवं रामअवतार ने स्वीकार किया कि यह कमरा हमारे द्वारा 400 रूपये प्रतिमाह किराये पर लिया गंया जिसमें रखा हुआ गेंहू हमारा है जो हमने व्यापार करने हेतु रखा हुआ है। उक्त गेंहू से डीलर को कोई लेना देना नहीं है सतेन्द्र एवं रामअवतार ने व्यापार हेतु लाईसेंस आढत की पर्ची बिल आदि मौके पर उपलब्ध नहीं कराये। इस प्रकार मकान मालिक एवं तथा कथित व्यापारी (सत्येन्द्र एवं रामअवतार) द्वारा मौके पर उपलब्ध पाये गये गेंहू के सम्बध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करोये। इस प्रकार सत्येन्द्र व रामअवतार वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत विधौरा एफपीएस कोड–9718 के सहायक व्यवस्थापक राजीव शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा के सहयोगी प्रतीत होते है और कालाबाजारी में उसका सहयोग कर रहे है सभी के बयानों एवं पूछताछ के आधार पर मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से उक्त गेंहू से भरे कमरे को सीलबंद चपडी लगाकर उपखण्डाधिकारी बाडी की उपस्थिति में सील किया गया। दिनांक 08.01.2021 को मौके पर जाकर मावली का नगला ग्राम पंचायत नगला विधौरा में उपभोक्ताओं के बयान लिये गये जिसमें उन्होने बताया कि हमारा डीलर वदरैठा ग्राम सेवा सहाकरी समिति लिमिटेड वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 है जो मावली का नगला तथा अम्बर का नगला के उपभोक्ताओं को जगवीर पुत्र ज्ञानसिंह के मकान से राशन वितरण करता है तथा राशन डीलर द्वारा उपभोक्तओं को विगत माहों में नियमित रूप से राशन वितरण नहीं करना बताया। उपभोक्ताओं के बयानात एवं पूछताछ का विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध वितरण विवरण से मिलान करने पर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 द्वारा 32.70 क्वि. गेंहू 34 किलोग्राम चना एवं 01 कि.ग्रा. चीनी का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट होता है जिससे शिकायत की पुष्टि होती है। दिनांक 08.01.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु मौके पर पहुंच कर उपखण्डाधिकारी बाडी, पटवारी नरेश, मकान मालिक जगवीर पुत्र ज्ञानसिंह, रामअवतार, सतेन्द्र एवं ग्रामीणों के सम्मुख ग्राम मावली का नगला ग्राम पंचायत नगला विधौरा में सीलवंध कमरे की सील खोली गई तथा कमरे के अन्दर रखे गेंहू की जांच की गई जिसमें खुले हुए गेंहू की नीचे एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिले हुए सीलबंद 66 प्लास्टिक के सीलबंद गेंहू के कटटे मिले। उक्त गेंहू के सम्बध में सतेन्द्र एवं रामअवतार से पूछताछ की गई जिसका दोनों द्वारा कोई जबाव नही दिया गया। यह गेंहू राशन डीलर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के वितरण क्षेत्र में रखा हुआ है। इस बावत मौके पर उपभोक्ताओं के प्रथक से बयान लिये गये जिन्होंने माह नबम्बर एवं दिसम्बर में उचित मूल्य दुकानदार वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 द्वारा पोश मशीन में अगूंठा लगवाकर भौतिक रूप से उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना बताया तथा राशन डीलर द्वारा उनके हिस्से की राशन सामग्री का वितरण/प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान से लगभग 03 कि.मी. दूर स्थित है। अतः उपभोक्ताओं के बयान एवं मौके पर कमरे में मिले एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिले हुए सीलबंद 66 प्लाष्टिक के कटटों से उक्त गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना स्पष्ट होता है। तथा सीलबंद

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के कटटों को छुपाने के लिए एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू के कटटों को खोलकर डालना स्पष्ट होता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं के बयानात एवं पूछताछ व मालिक एवं तथाकथित व्यापारियो के द्वारा कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, सीलबंध कमरे में एफ.सी.आई. मार्का सिले हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू के कटटे अप्राधिकृत स्थल पर मिलना एवं राशन डीलर द्वारा अप्राधिकृत स्थल पर उपभोक्ताओं के वितरण हेतु आवंटित किया गया था जिसे राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी की नीयत से अप्राधिकृत स्थल पर भण्डारित किया गया है। मौके पर उक्त गेंहू वजन हेतु तौल कराई गई जिसके अनुसार 66 सिले हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एफ.सी.आई. मार्का के गेंहू के कटटे जिनका बजन 32.60 क्वि. तथा कमरे में खुले मिले गेंहू की तौल कराई गई जिसका बजन 92.71 क्वि. होना पाया। अतः कुल मात्रा 125.33 क्वि. गेंहू को जब्त सरकार किया गया और मौका परिस्थिति एवं सुरक्षा की दृष्टि से तौल कराकर राशन डीलर रविन्द्र ग्राम पंचायत नौहरा एफ.पी.एस. कोड–9725 को प्रथक से सुपुर्दगीनामा बनाकर सुपुर्द किया गया। इस प्रकार वदरैठा सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य में उपरोक्त अनियमितताऐं बरतकर राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (विरतण का विनियमन) आदेश 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के उपबंधो स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर जब्तशुदा माल 125.33 क्वि. गेंहू मय वारदान को राजसात कर अन्तरिम निस्तारण करवाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थी की ओर से श्री विमल शर्मा अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा जबाव हेतु समय चाहा। अप्रार्थी को जबाव पेश करने हेतु कई मौके दिये गये लेकिन अप्रार्थी की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 18.10.2022 को अप्रार्थी का जबाव बन्द किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक एवं अप्रार्थी में से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी धौलपुर की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि शिकायतकर्ता विजयसिंह ने बताया कि राशन डीलर ने उपभोक्ताओं से दो माह का पोश मशीन में अंगूठा लगवा लिया है परन्तु किसी को भी माह नवम्बर दिसम्बर 2020 का राशन नहीं दिया गया है तथा जगवीर के मकान में रखे गेंहू को राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी करने हेतु भण्डारित करना बताया। मौके पर पहुंच कर उपखण्डाधिकारी बाडी, पटवारी नरेश, मकान मालिक जगवीर पुत्र ज्ञानसिंह, रामअवतार, सतेन्द्र एवं ग्रामीणों के सम्मुख ग्राम मावली का नगला ग्राम पंचायत नगला विधौरा में सीलवंध कमरे की सील

खोली गई तथा कमरे के अन्दर रखे गेंहू की जांच की गई जिसमें खुले हुए गेंहू की नीचे एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिले हुए सीलबंद 66 प्लास्टिक के सीलबंद गेंहू के कटटे मिले। उक्त गेंहू के सम्बध में सतेन्द्र एवं रामअवतार से पूछताछ की गई जिसका दोनों द्वारा कोई जबाव नही दिया गया। यह गेंहू राशन डीलर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के वितरण क्षेत्र में रखा हुआ है। इस बावत मौके पर उपभोक्ताओं के प्रथक से बयान लिये गये जिन्होंने माह नबम्बर एवं दिसम्बर में उचित मूल्य दुकानदार वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 द्वारा पोश मशीन में अगूंठा लगवाकर भौतिक रूप से उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना बताया तथा राशन डीलर द्वारा उनके हिस्से की राशन सामग्री का वितरण/प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान से लगभग 03 कि.मी. दूर स्थित है। अतः उपभोक्ताओं के बयान एवं मौके पर कमरे में मिले एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिले हुए सीलबंद 66 प्लाष्टिक के कटटों से उक्त गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना स्पष्ट होता है। तथा सीलबंद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के कटटों को छुपाने के लिए एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू के कटटों को खोलकर डालना स्पष्ट होता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं के बयानात एवं पूछताछ व मालिक एवं तथाकथित व्यापारियो के द्वारा कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, सीलबंध कमरे में एफ.सी.आई. मार्का सिले हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू के कटटे अप्राधिकृत स्थल पर मिलना एवं राशन डीलर द्वारा अप्राधिकृत स्थल पर उपभोक्ताओं के वितरण हेतु आवंटित किया गया था जिसे राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी की नीयत से अप्राधिकृत स्थल पर भण्डारित किया गया है। अतः जप्तशुदा 125.33 क्विं0 गैंहूँ मय वारदाना राजसात किया जावे।

हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहा0 लोक अभियोजक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। मौके पर उपखण्डाधिकारी बाडी, पटवारी नरेश, मकान मालिक जगवीर पुत्र ज्ञानसिंह, रामअवतार, सतेन्द्र एवं ग्रामीणों के सम्मुख ग्राम मावली का नगला ग्राम पंचायत नगला विधौरा में सीलवंध कमरे की सील खोली गई तथा कमरे के अन्दर रखे गेंहू की जांच की गई जिसमें खुले हुए गेंहू की नीचे एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिले हुए सीलबंद 66 प्लास्टिक के सीलबंद गेंहू के कटटे मिले उक्त गेंहू के सम्बध में सतेन्द्र एवं रामअवतार से पूछताछ की गई जिसका दोनों द्वारा कोई जबाव नही दिया गया। यह गेंहू राशन डीलर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 के वितरण क्षेत्र में रखा हुआ है। इस बावत मौके पर उपभोक्ताओं के प्रथक से बयान लिये गये जिन्होंने माह नबम्बर एवं दिसम्बर 2020 में उचित मूल्य दुकानदार वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा ग्राम पंचायत नगला विधौरा एफपीएस कोड–9718 द्वारा पोश मशीन में अगूंठा लगवाकर भौतिक रूप से उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना बताया तथा राशन डीलर द्वारा उनके हिस्से की राशन सामग्री का वितरण/प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान से लगभग 03 कि.मी. दूर स्थित है। अतः उपभोक्ताओं के बयान एवं मौके पर कमरे में मिले एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिले हुए सीलबंद 66 प्लाष्टिक

*के कटटों से उक्त गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना स्पष्ट होता है तथा सीलबंद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के कटटों को छुपाने के लिए एफ.सी.आई. मार्का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू के कटटों को खोलकर डालना स्पष्ट होता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं के बयानात एवं पूछताछ व मालिक एवं तथाकथित व्यापारियो के द्वारा कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, सीलबंध कमरे में एफ.सी.आई. मार्का सिले हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू के कटटे अप्राधिकृत स्थल पर मिलना एवं राशन डीलर द्वारा अप्राधिकृत स्थल पर उपभोक्ताओं के वितरण हेतु आवंटित किया गया था जिसे राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी की नीयत से अप्राधिकृत स्थल पर भण्डारित किया गया है। इस प्रकार वदरैठा सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, वदरैठा एफपीएस कोड–9718 के व्यवस्थापक द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य में अनियमितताऐं बरतकर राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (विरतण का विनियमन) आदेश 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के उपबंधो स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी राशन डीलर द्वारा यहॉ पर उक्त आरोपो के सम्बध में कोई जबाव पेश नहीं करना तथा आरोपो का खण्डन नहीं करना उसकी स्वीकारोक्ति को दर्शाता है।*

*उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा 125.33 क्विं0 गैहूँ मय वारदाना राजसात किया जाना उचित समझते हैं।*

*अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा 125.33 क्विं0 गैहूँ को मय वारदाना राजसात किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिये जाते है, कि वे उक्त जब्तशुदा 125.33 क्विं0 गैहूँ को मय वारदाना सुपुर्दगार से प्राप्त कर अन्य किसी उचित मूल्य दुकानदार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियन्त्रित मूल्य पर विक्रय कराकर प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करावें तथा जब्त शुदा माल के बराबर माल उसके मासिक कोटे में से कम करके दिया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।*

*निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।*

न्यायालय जिला कलक्टर (राज0)

( अनिल कुमार अग्रवाल )
जिला कलक्टर